

27.1.2015

आवेदकगण की ओर से श्री
संदीप डुबे अभिभाषक उपस्थित। तर्क पुनः
गये। अनुपाख्यान का कारण समाधान-
कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित
किया जाता है। इस प्रकार में
कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से
समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

N F